समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

विनीत अग्रवाल तनय रमेशचंद अग्रवाल,
निवासी 105/30 सराफा बाजार झांसी उ.प्र. ..... आवेदक

//विरूद्ध//

1. अशोक कुमार तनय कुंवर लाल जैन
   प्रबंधक,मोटल्स एण्ड सिरोर्ट लिमिटेड, ओराछा
   तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ म.प्र.
2. श्रीमति प्रभाजून पत्नि जयदेव सिंह
   निवासी द्वारिका पूरी नई दिल्ली
   हाल निवासी सावंतनगर, ओरछा
   तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ म.प्र.
3. बाबूलाल तनय घुरके साहू,
   निवासी ओरछा तह. ओरछा
   जिला टीकमगढ़ म.प्र. .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर (म.प्र) प्र. क्र. 662/अ-13 वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 09/01/2014 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ओरछा के समक्ष अनावेदक क्रमांक 2 प्रभाजून द्वारा अपनी भूमि पर पहुँचने हेतु पूर्व के रूढ़ीगत रास्ते को खोले जाने बावत् पूर्व के आदेश दिनांक 30-09-1991 के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे रूढ़ीगत रास्ता स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध बाबूलाल द्वारा अपील श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी निवाढ़ी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तुत अपील निरस्त की गई

XXXIX(a)-BR(H)-11

115

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/1907/III/15 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-1-16	1— आवेदक की ओर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव अनावेदक की ओर से अधिवक्ता एस. के. श्रीवास्तव उपस्थित उभयपक्षों को प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया। 2— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण मुख्य रूप से नायब तहसीलदार ओरछा जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण कमांक /01/अ—13/1990—91 में पारित आदेश दिनांक 30.9.1991 से संबंधित है । नायब तहसीलदार ओरछा के उक्त आदेश को अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी द्वारा प्रकरण कमांक 44/अपील/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 9.6.2014 के द्वारा निरस्त किया गया है । उपरोक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी कमांक 3707/।।/2015 प्रस्तुत की गई जिसमे पारित आदेश दिनांक 16.11.2015 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 9.6.2014 निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर निराकरण बावत् प्रत्यावर्तित किया गया है । जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया है । इस कारण माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर प्रचलन योग्य न होने से समाप्त की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड है । सदस्य	

[कृ. प. उ.